चित्रकूट-पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5.0'

सम्मान, स्वालंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0' पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मिशन शक्ति टीम थाना बरगढ़ द्वारा चन्द्रेश इण्टर कॉलेज कस्बा बरगढ ,मिशन शक्ति टीम थाना भरतकूप द्वारा अकबरपुर, कस्बा भरतकूप में, मिशन शक्ति टीम थाना रैपुरा द्वारा कृषक इण्टर कॉलेज रैपुरा में, महिला थाना मिशन शक्ति टीम द्वारा कल्याण भारती इण्टर कॉलेज कालूपुर में, मिशन शक्ति टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा धतुरहा चौराहा, शंकर बाजार कर्वी में, एवं अन्य समस्त थानों की एन्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में "मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत छात्र/छात्राओ, महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट

वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाया जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री नरेन्द्र यादव व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त पप्पू सोनकर पुत्र मइयादीन सोनकर निवासी हनुमान जी मोहल्ला कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 22 पाउच नाजायज देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 नरेन्द्र यादव

2.आरक्षी शुभम मिश्रा

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति का अभ्यस्त अपराधी जो दबंगई व गुण्डई के बल पर भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1. छक्कीलाल पुत्र रामशरण उम्र करीब 26 वर्ष, 2. मातादीन पुत्र रामशरण उम्र करीब 45 वर्ष, 3. पप्पू पुत्र वंशगोपाल उम्र करीब 35 वर्ष 4. राकेश पुत्र रामशरण उम्र करीब 32 वर्ष समस्त निवासीगण शिवलहा पुरवा मजरा बरूवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट अन्तर्गत धारा 129 बीएनएसएस के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गाविजय सिंह के मार्गदर्शन में निरीक्षक अपराध श्री अंजनी कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा आईटी एक्ट के 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.10.2025 को एक वादिया द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गयी थी कि मेरे ही गांव का संदीप सिंह वर्ष 2023 से मेरा पीछा कर रहा था और जब मैं अकेली रहती थी तो मुझे देखकर अश्लील भाषा का प्रयोग करता था और धमकी देता था कि अगर किसी से बताई तो मैं तुम्हे जान से मार दूंगा । मैने इसी डरवश किसी को नही बतायी, इसी बीच मेरी शादी हो गयी। घर आने पर संदीप वादिया के पति के द्वारा दिये गये मोबाइल उससे छिनकर अपना नम्बर डायल कर वादिया का मोबाइल नम्बर प्राप्त कर लिया तभी से फोन करके परेशान करने लगा । वादिया ने अपनी आप बीती अपनी माँ से बतायी तो उने धमकी दिया कि तुम्हारे पिता व भाई को जान से मार दूंगा । दिनांक 03.10.2024 को पहले से ही घर में घात लगाये बैठा संदीप सिंह वादिया को अकेले में पाकर जबरदस्ती बलात्कार किया और मोबाइल से अश्लील वीडियों व फोटो बना लिया । संदीप सिंह दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को वादिया के पति के मोबाइल नम्बर पर भेज कर फोन करके कहा कि अपनी पत्नी का करतूत स्वम् देख लो। इस सचूना पर थाना मऊ में मु0अ0स0 349/25 धारा 64(1),78,351(3),333 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट बनाम संदीप सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक

29.10.2025 को निरीक्षक अपराध व उनकी टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.श्री अंजनी कुमार सिंह निरीक्षक अपराध

2.आरक्षी प्रकाश मिश्रा

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियो के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मुन्नीलाल व उनकी टीम द्वारा एक अभियुक्त को चोरी की मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.10.2025 को वादी खुन्नीलाल पुत्र सदाशिव निवासी बरियारी कला थाना मऊ जनपद चित्रकूट ने सूचना दी थी कि पल्सर 220 सीसी रंग काला गाड़ी नम्बर UP 96 B 0275 दिनांक 17/18.10.2025 की रात्रि दरवाजे पर खड़ी थी किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0 351/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 30.10.2025 को उ0नि0 श्री मुन्नीलाल व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चंदई मोड़ से करीब 150 मीटर पहले व्यक्ति को मोटर साइकिल के साथ पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूंछते हुए जामातलाशी ली गयी तो पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम रामभरोसे वर्मा पुत्र रघुवा निवासी बरियारीकला थाना मऊ जनपद चित्रकूट बताया गया। चोरी की मोटर साइकिल बरामद होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रामभरोसे वर्मा पुत्र रघुवा निवासी बरियारीकला थाना मऊ जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

मो0सा0 पल्सर नं0 UP 96 B 0275 रंग काली 220 सीसी

गिरफ्तार करने बाली टीम –

1.उ0नि0 श्री मुन्नीलाल

2.आरक्षी राकेश कुमार

3.आरक्षी शुभम त्रिपाठी

(6). आज दिनांक 30.10.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट के कान्हा सभागार में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को NCL (नये आपराधिक कानून) जागरूकता अभियान 2.0 के सम्बन्ध में बताया गया।

इस जागरूकता अभियान के तहत नये आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला आयोजित कर नये आपराधिक कानूनों (बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023, भारतीय साक्ष्य अधि0 2023) के सम्बन्ध में बताया गया।

विशेष रूप से 'शून्य एफआईआर' (Zero FIR) की अवधारणा, E-FIR, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित प्राविधान, नये अपराध, प्रौद्योगिकी एवं फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग से जुड़े प्राविधान तथा पीड़ित-केंद्रित प्राविधानों पर विस्तृत जानकारी दिया गया।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव एवं आरटीसी शिक्षकगण मौजूद रहें।

भारतीय न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नए कानूनों—भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)—के प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन स्थित कान्हा सभागार में NCL (नये आपराधिक कानून) जागरूकता अभियान 2.0 के तहत एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम नागरिकों, युवाओं तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन कानूनों की नई प्रावधानों, उनके लाभों तथा दैनिक जीवन पर प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। नए कानूनों ने औपनिवेशिक काल के पुराने दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए आधुनिक, नागरिक-केंद्रित तथा तकनीकी रूप से सशक्त न्याय प्रक्रिया की नींव रखी है। इनमें डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता, समयबद्ध जांच, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति संवेदनशीलता तथा भ्रष्टाचार-रोधी प्रावधान जैसे महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन परिवर्तनों से आम जनता को परिचित कराना है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं न्यायोचित बने।

(7). आज दिनांक 30.10.025 को भारतीय न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नए कानूनों—भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)—के प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली एवं प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह द्वारा बालिका इंटर कॉलेज मऊ जनपद चित्रकूट में एवं कस्बा मऊ में,प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री निशिकान्त राय द्वारा दादू भाई इण्टर कॉलेज मारकुण्डी में,प्रभारी निरीक्षक राजापुर द्वारा स्व0 महादेव इण्टर कॉलेज नांदिन कुर्मियान राजापुर में,प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका मॉडल इण्टर कॉलेज हरदीकला में NCL जागरूकता अभियान 2.0 चलाया गया।

इस जागरूकता अभियान के तहत नये आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला आयोजित कर समस्त नागरिकों,छात्र/छात्रों को नये आपराधिक कानूनों (बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023, भारतीय साक्ष्य अधि0 2023) के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।

विशेष रूप से 'शून्य एफआईआर' (Zero FIR) की अवधारणा, E-FIR, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित प्राविधान, नये अपराध, प्रौद्योगिकी एवं फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग से जुड़े प्राविधान तथा पीड़ित-केंद्रित प्राविधानों पर विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया।

यह कार्यक्रम नागरिकों, युवाओं तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन कानूनों की नई प्रावधानों, उनके लाभों तथा दैनिक जीवन पर प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। नए कानूनों ने औपनिवेशिक काल के पुराने दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए आधुनिक, नागरिक-केंद्रित तथा तकनीकी रूप से सशक्त न्याय प्रक्रिया की नींव रखी है। इनमें डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता, समयबद्ध जांच, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति संवेदनशीलता तथा भ्रष्टाचार-रोधी प्रावधान जैसे महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन परिवर्तनों से आम जनता को परिचित कराना है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं न्यायोचित बने, नए कानून न केवल न्याय की गति को तेज करेंगे, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास को भी मजबूत करेंगे। यह जागरूकता अभियान हमारा सामूहिक दायित्व है, जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाएगा।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता गोपालदास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 19/2018 धारा 307,504,506 भादवि0 व 12 डीए ए एक्ट के आरोपी अभियुक्त अशोक त्रिपाठी उर्फ गोली पण्डित पुत्र स्व0 चुनबद्दा त्रिपाठी निवासी तेन्दुरा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 14 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 15.05.2018 को वादी उ0नि0 मोहम्मद अकरम द्वारा सूचना दिया गया कि कुसमोई जंगल जाने वाले रास्ते में अभियुक्त अशोक त्रिपाठी उर्फ गोली पण्डित द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर देना। इस सूचना पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 19/2018 307,504,506 भादवि0 12/14 डीएए एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन व0उ0नि0 हरनारायण द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा दिनाँक 19.07.2018 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता गोपालदास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 20/2018 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त अशोक त्रिपाठी उर्फ गोली पण्डित पुत्र स्व0 चुनबद्दा त्रिपाठी निवासी तेन्दुरा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी नीतेश कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनाँक 30.10.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 132/2017 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त बुन्दन पुत्र भोण्डा खटिक निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।